न्यूज डायरी

रामनगर से देहरादून के बीच चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन

नजीबाबाद। रामनगर से सीधे देहरादून के लिए एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी। सप्ताह में दो दिन चलने वाली ट्रेन को नजीबाबाद स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। रामनगर से स्पेशल ट्रेन 18 जुलाई को रवाना होगी। पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड वासियों के लिए एक और ट्रेन का तोहफा दिलाया है। उत्तराखंड की राजधानी बनने के बाद रामनगर से देहरादून के लिए पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी। पौड़ी सांसद के अनुसार 05014 नंबर से स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 18 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे रामपुर से देहरादून के लिए एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होगी। रात्रि 9:30 बजे ट्रेन देहरादून पहुंचेगी। ट्रेन संचालन के दिन और समय रेलवे शीघ्र घोषित कर समय सारणी में ट्रेन को शामिल करेगा। रामनगर से देहरादून के लिए संचालित एक्सप्रेस ट्रेन को रामनगर के बाद काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। संवाद

बादल तो छाए लेकिन बरसे नहीं

बिजनौर। जिले में बुधवार को दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही लेकिन लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली। बादलों के कारण धूप की तपिश कुछ कम रही, इसके बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने से उमस बढ़ गई। इससे लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस का सबसे अधिक असर बुजुर्गों, बच्चों में दिखाई दिया। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने कूलर, पंखों, एसी का सहारा लिया। पूरे दिन लोगों के माथे से पसीना टपकता रहा। घरों के अंदर उमस अधिक होने से लोगों को पंखों में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आगामी दो दिन में बारिश की संभावना है। इस मौसम में चिकित्सक पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने, हल्का भोजन करने की सलाह दे रहे हैं। संवाद

व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल कल आएंगे

नजीबाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल 17 जुलाई को नजीबाबाद पहुंचेंगे। व्यापारी नेताओं ने आयोजन के संबंध में बैठक की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय मंत्री शिवकुमार माहेश्वरी ने व्यापारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल 17 जुलाई को दिन में एक बजे जिलाध्यक्ष नजर खां के रेलवे स्टेशन रोड प्रतिष्ठान पर पहुंचकर व्यापारियों को संबोधित करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने समस्त व्यापारियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर प्रांतीय अध्यक्ष के समक्ष व्यापारी हितों से संबंधित मुद्दे उठाने की सलाह दी। युवा जिलाध्यक्ष अभिनव अग्रवाल एड., शहजाद अहमद, साबिर खां, निसार, हारून, वसीम, देवेंद्र उपस्थित रहे। संवाद

समझौते से चमकेगी पीतलनगरी

निर्यातकों के लिए ब्रिटेन का बाजार हुआ आसान, पहले दिन ही यूके रवाना हुई पहली खेप

अमर उजाला ब्यूरो

मुरादाबाद। भारत और यूके (यूनाइटेड किंगडम) के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) बुधवार से लागू हो गया। अब भारत के लगभग 99 फीसदी निर्यात को यूके में शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा पीतलनगरी के हस्तशिल्प उत्पाद को मिलने की उम्मीद है। निर्यातकों का कहना है कि इससे ब्रिटेन में मुरादाबाद के हस्तशिल्प उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे और नए आर्डर मिलने की संभावना बढ़ेगी।

ईपीसीएच (हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद) ने इसे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा कि सीईटीए लागू होने से भारतीय निर्यातकों को उच्च मूल्य वाले ब्रिटिश बाजार तक बिना शुल्क पहुंच मिलेगी। इससे होम डेकोर, फर्नीचर, फर्निशिंग, फैशन एक्सेसरी, मेटल और लकड़ी के उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि समझौते के पहले ही दिन यूके के लिए पहली खेप रवाना कर दी गई। इसमें मेटल प्लांटर्स, लकड़ी की ट्रे, लकड़ी के बाउल, मेटल जार और अन्य होम डेकोर उत्पाद शामिल हैं।

99 फीसदी भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी, होम डेकोर और मेटल उत्पादों की बढ़ेगी मांग

ईपीसीएच ने यूके में शुरू किया वेयरहाउस

ईपीसीएच के मुख्य संरक्षक डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि सीईटीए केवल व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प के लिए नए बाजार खोलने वाला मंच है। शुल्क समाप्त होने से भारतीय उत्पाद पहले से अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। इससे निर्यातकों को नए खरीदार मिलेंगे और कारोबार का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ईपीसीएच के एक्सपो बाजार ने यूके में वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी शुरू कर दिया है। इससे वहां के खरीदारों को कम समय में भारतीय उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। अभी यूके के 100 से अधिक बुटीक स्टोरों को भारतीय हस्तशिल्प की आपूर्ति की जा रही है।

यूके में होता है 2355 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प उत्पाद का निर्यात

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक राजेश रावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत से 33,168 करोड़ रुपये का हस्तशिल्प निर्यात हुआ। इसमें यूके का 2,355.65 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। उन्होंने कहा कि सीईटीए लागू होने के बाद ब्रिटेन को हस्तशिल्प निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। इसका लाभ मुरादाबाद को सबसे ज्यादा मिलेगा।

पुलिस अधिकारियों ने केस डायरी देर से भेजने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा, हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार हर्जाना

थाना प्रभारी ने छुट्टी, कांवड़ यात्रा की ड्यूटी का बहाना बताया उपनिरीक्षक ने संवादहीनता बताई

प्रयागराज। जमानत याचिका पर समय से केस डायरी कोर्ट में नहीं भेजने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे पुलिस अधिकारियों से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। जांच का आदेश भी दिया है। स्पष्ट किया है कि जांच के बाद सरकार को यह राशि लापरवाह पुलिस अधिकारियों से वसूल कर याचियों को देनी होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की एकल पीठ ने बिजनौर के चांदपुर थाने में दर्ज दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत याचिका पर दिया है। कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के साक्ष्य नहीं मिलने पर दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जमानत याचिका की प्रति संयुक्त निदेशक (अभियोजन) के कार्यालय ने 17 जून को पुलिस पैरोकार को उपलब्ध करा दिया था। इसके बाद 19 जून को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया और 29 जून को अनुस्मारक जारी किया गया। फिर भी पुलिस ने मामले की केस डायरी कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई। इससे शीघ्रताकाल में दाखिल जमानत याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी।

कोर्ट ने तीन जुलाई को सीसीटीएनएस पोर्टल से केस डायरी की पीडीएफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने केवल आरोपियों का आपराधिक इतिहास भेजा। इस पर चांदपुर के थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक और क्षेत्राधिकारी को तलब किया गया।

थाना प्रभारी ने छुट्टी और कांवड़ यात्रा की ड्यूटी को देरी का कारण बताया। वहीं, उपनिरीक्षक ने इसे संवादहीनता (कम्युनिकेशन गैप) बताई। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि उनके साथ तैनात हेड कांस्टेबल ने कोर्ट से भेजे संदेशों की जानकारी नहीं दी थी। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर हैरानी जताई। कहा कि यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। संवाद

देहरादून लाई जा रही पांच किलो चरस एनसीबी ने बिजनौर से पकड़ी

देहरादून। एनसीबी ने देहरादून लाई जा रही करीब पांच किलो चरस बिजनौर से पकड़ी है। एनसीबी ने चरस तस्करी के आरोप में देहरादून के रहने वाले गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी चरस को यूपी के बहराइच से लेकर आ रहा था। एनसीबी ने मंगलवार रात गुरप्रीत की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक [illegible]चानंद ने बताया कि गोपनीय सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से देहरादून बड़ी मात्रा में चरस लाई जा रही है। इस पर तस्कर की तलाश के लिए एनसीबी ने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया। इस बीच पता चला कि एक युवक कार से चरस लेकर आ रहा है। सूचना पर एनसीबी ने बिजनौर के धामपुर और नगीना के बीच पुरैनी टोल प्लाजा पर चेकिंग की। इस दौरान एक कार को रोका गया।

कार सवार ने अपना नाम गुरप्रीत सिंह बताया जो कि देहरादून का ही रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लंबे समय से बहराइच से चरस लेकर आता है और इसे छोटी-छोटी मात्रा में देहरादून के लोगों को बेचता है। चरस की कुल मात्रा 4.980 किलोग्राम है। आरोपी से कई और जानकारियां भी मिली हैं जिनकी तस्दीक की जा रही है। क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। ब्यूरो

डिवाइडर से टकराते ही धू-धू कर जली कार

[illegible]तेया (अमरोहा)। हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

हादसा बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जोया कस्बे के पास हाईवे पर हुआ। बरेली के सिविल लाइंस निवासी माधव विराज कार से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के कुछ देर बाद कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई।

कार में आग लगने से हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि कार में एक व्यक्ति सवार था। वह समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण कार का अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराना सामने आया है। संवाद

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर

पत्रांक:- 390 //2026-27 — दिनांक: 10/07/2026

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के जलकल विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले स्वीकृत 17 कार्यों की अधिकृत कार्यकारी फर्मों से दिनांक- 04/08/2026 को सायं 3:00 बजे तक ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती है। वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर निविदा ऑनलाईन दिनांक- 15/07/2026 की प्रातः 10:00 बजे से दिनांक- 04/08/2026 की सायं 03:00 बजे तक डाउनलोड तथा अपलोड की जा सकती है। कार्य की धरोहर राशि एफ०डी०आर० के रूप में जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के नाम बंधक होगी तथा निविदा मूल्य का ड्राफ्ट (जी०एस०टी० सम्मिलित करते हुए) वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज डिपार्टमेन्ट नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के नाम जारी करते हुए अपलोड की गयी एफ०डी०आर० को मूलप्रति के रूप मे तकनीकी बिड खोले जाने की नियत दिनांक से एक दिन पूर्व कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति मे निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाऐगी। प्राप्त ई-निविदायें दिनांक 04/08/2026 को सायं 04:00 बजे अधिशासी अधिकारी महोदया के समक्ष खोली जायेगी। निविदा तिथि को अवकाश होने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी तथा यह भी उल्लेखित है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का समस्त अधिकार मा० अध्यक्ष महोदया नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर में निहित होगा। अधिक जानकारी के लिए ऊपर दी गयी वेबसाईट पर लॉगिन कर सकते है।

सहायक अभियन्ता (जल), नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर — अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर — अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर

पत्रांक:- 390 //2026-27 — दिनांक: 10/07/2026

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के जलकल विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले स्वीकृत 17 कार्यों की अधिकृत कार्यकारी फर्मों से दिनांक- 04/08/2026 को सायं 3:00 बजे तक ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती है। वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर निविदा ऑनलाईन दिनांक- 15/07/2026 की प्रातः 10:00 बजे से दिनांक- 04/08/2026 की सायं 03:00 बजे तक डाउनलोड तथा अपलोड की जा सकती है। कार्य की धरोहर राशि एफ०डी०आर० के रूप में जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के नाम बंधक होगी तथा निविदा मूल्य का ड्राफ्ट (जी०एस०टी० सम्मिलित करते हुए) वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज डिपार्टमेन्ट नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के नाम जारी करते हुए अपलोड की गयी एफ०डी०आर० को मूलप्रति के रूप मे तकनीकी बिड खोले जाने की नियत दिनांक से एक दिन पूर्व कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति मे निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाऐगी। प्राप्त ई-निविदायें दिनांक 04/08/2026 को सायं 04:00 बजे अधिशासी अधिकारी महोदया के समक्ष खोली जायेगी। निविदा तिथि को अवकाश होने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी तथा यह भी उल्लेखित है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का समस्त अधिकार मा० अध्यक्ष महोदया नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर में निहित होगा। अधिक जानकारी के लिए ऊपर दी गयी वेबसाईट पर लॉगिन कर सकते है।

सहायक अभियन्ता (जल), नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर — अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर — अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 84 BNSS देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त फरियाद उर्फ फर्री पुत्र मो. समीर निवासी ग्राम व थाना किठौर, सलातीन मोहल्ला, तहसील मवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश ने केस ई-एफआईआर नं. 26224/24, अन्तर्गत धारा 305(बी)/317(2)/345(3)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना सफदरजंग एन्क्लेव, दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त फरियाद उर्फ फर्री मिल नहीं रहा/रही है, और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त फरियाद उर्फ फर्री फरार हो गया/गई है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा/रही है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि केस ई-एफआईआर नं. 26224/24, अन्तर्गत धारा 305(बी)/317(2)/345(3)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना सफदरजंग एन्क्लेव, दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त फरियाद उर्फ फर्री से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.08.2026 को प्रातः 10:00 बजे या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री देवांशी जनमेजा
न्यायिक न्यायाधीश प्रथम श्रेणी-03 (दक्षिण)
कोर्ट नं. 212, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली

DP/9511/SW/2026
(Court Matter)

प्रपत्र फॉर्म–जी

जे पी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए,
रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण
जो सीमेंट बनाने एवं निर्माण सामग्री के व्यवसाय में संचालित है।
पंजीकृत कार्यालय: सेक्टर-128, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201304 में स्थित है।
[illegible]

क्र.सं.	प्रासंगिक विवरण	
1	[illegible]	जे पी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड PAN : AAACZ2168D CIN : U74999UP1996PLC045701
2	[illegible]	सेक्टर-128, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201304 [illegible]
3	[illegible]	[illegible] www.dprasad.in [illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible] www.dprasad.in [illegible] Jaypeecement.cirp@gmail.com [illegible]
9	[illegible]	[illegible] www.dprasad.in [illegible] Jaypeecement.cirp@gmail.com [illegible]
10	[illegible]	31-07-2026
11	[illegible]	03-08-2026
12	[illegible]	08-08-2026
13	[illegible]	10-08-2026
14	[illegible]	10-08-2026
15	[illegible]	09-09-2026
16	[illegible]	Jaypeecement.cirp@gmail.com
17	[illegible]	MSME नहीं है।

[illegible]

दिनांक : 16.07.2026
स्थान : दिल्ली

ईमेल: Jaypeecement.cirp@gmail.com

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 30.06.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	शाखाः जलालाबाद, बिजनौर **ऋणीः** श्री नितिन कुमार पुत्र श्री तुलाराम (**ऋणी**)।	बंधक आवासीय मकान, जो ग्राम अहमदपुर सादात, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला बिजनौर, (उ.प्र.) में स्थित है, क्षेत्रफल 172.50 वर्ग मीटर का 1/2 भाग अर्थात 86.25 वर्ग मीटर। (श्री नितिन कुमार पुत्र श्री तुला राम के नाम), बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10740, पृष्ठ संख्या 243 से 256, क्रम संख्या 14308, दिनांक 02.12.2021 में उप-पंजीयक कार्यालय जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज। सीमाएँः- पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अनूप कुमार का खेत, उत्तरः आराजी हरकिशन सिंह, दक्षिणः आराजी तुलाराम सिंह।	(ए) 07.08.2023 (बी) रू0 13,47,627.19 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 (सी) रू0 10,84,325.34 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.06.2026 (डी) 04.11.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 9,09,000/- रू0 90,900/- रू0 10,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	शाखा कोतवाली, बिजनौर **ऋणी बंधककर्ताः** श्री पतराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, **गारन्टरः** श्री तेजस्वी कुमार पुत्र श्री पतराम सिंह।	बंधक आवासीय मकान स्थित तारापुर लालू, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्री पतराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 91.96 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 1413, पेज नं0 330 एवं अतिरिक्त बही नं0 01, जिल्द नं0 1514, पेज नं0 243 से 246, क्र0सं0 96, दिनांक 07.01.2022, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- उत्तरः रास्ता, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः सुंदर लाल की आराजी, पश्चिमः 9 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 01.10.2022 (बी) रू0 9,17,750.10 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2022 (सी) रू0 8,75,643.10 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2024 (डी) 21.12.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 15,05,000/- रू0 1,50,500/- रू0 20,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	शाखाः कोतवाली, बिजनौर श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह (**उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता**), श्री बाबर पुत्र श्री जमीर (**गारंटर**)।	बंधक आवासीय संपत्ति, खसरा संख्या 144 के भाग में स्थित, ग्राम जलालपुर गूजर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित। कुल क्षेत्रफल 106.22 वर्ग मीटर। (श्री ऋषिराम पुत्र श्री मुन्ने सिंह के नाम)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11116, पृष्ठ संख्या 175 से 186, क्रम संख्या 12545, दिनांक 03.09.2022 को उप-पंजीयक कार्यालय- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज। सीमाएँः- पूर्वः घसीटा की आराजी, पश्चिमः 6 फीट चौड़ा रास्ता एवं अनीता की आराजी, उत्तरः कन्हैया का मकान, दक्षिणः अशोक की आराजी।	(ए) 07.08.2023 (बी) रू0 13,47,627.19 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 (सी) रू0 10,12,980.27 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.06.2026 (डी) 04.11.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 4,96,000/- रू0 49,600/- रू0 10,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	शाखाः सहसपुर, बिजनौर श्री गंगा राम (**प्रोपराइटर/ऋणी**), श्री सुभाष चन्द्र त्यागी पुत्र श्री शिव चरण सिंह (**गारन्टर**), श्री राम पुत्र पूरण (**गारन्टर**)।	बंधक सम्पत्ति माप 84 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम- महमूदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्री गंगा राम सिंह पुत्र श्री राम सिंह), विक्रय विलेख दिनांक 16.07.2002, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस धामपुर-1, बुक नं0 1, जिल्द नं0 2065/2101, पेज नं0 100/109/112, क्र0सं0 5870, पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- उत्तरः सुनील कुमार का मकान, दक्षिणः श्री घसीटा सिंह का मकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः श्री सुनील कुमार का मकान।	(ए) 28.08.2017 (बी) रू0 1,89,723/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2017 (सी) रू0 5,48,881/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.01.2025 (डी) 14.11.2017 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 5,37,000/- रू0 53,700/- रू0 10,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
5	शाखाः जलालाबाद श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह (**उधारकर्ता/बंधककर्ता**) श्री सुमित करकेट्टा पुत्र श्री इसिडोर करकेट्टा (**गारन्टर**)।	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहजहांपुर, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.), कुल क्षेत्रफल 61.30 वर्ग मीटर, (श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11477, पृष्ठ संख्या 365-378, क्रमांक 6629, दिनांक 25.05.2023 को उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः पवन कुमार का मकान, पश्चिमः रोशन सिंह का मकान, उत्तरः राजेंद्र का मकान, दक्षिण+ 8 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 06.09.2025 (बी) रू0 9,40,274.99 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 23.08.2025 (सी) रू0 9,87,661.99 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.01.2025 (डी) 17.11.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 8,08,350/- रू0 80,835/- रू0 10,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
6	शाखाः बुन्दकी, बिजनौर **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रमेश एवं श्रीमती मनीषा रानी पत्नी श्री कुलदीप सिंह (ऋणी/बंधककर्ता), श्री जोगेन्द सिंह पुत्र श्री बैजोर सिंह (गारन्टर)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 76 का भाग, ग्राम धनौरा, ग्रीन वैली कालोनी के पास, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यूपी), (सम्पत्ति स्वामती श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह एवं श्रीमती मनीषा रानी पत्नी श्री कुलदीप सिंह), कुल क्षेत्रफल 43.49 वर्ग मीटर, पंजीकृत बही नं0 01, जिल्द नं0 9697, पेज नं0 21 से 44, सिरियल नं0 13733, दिनांक 16.11.2019, सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यूपी)। समीऐं: पूर्वः 15 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः तेजेन्द्र कौर एवं छोटे का प्लॉट, उत्तरः रूबी का प्लॉट, दक्षिणः सुरेश का प्लॉट।	(ए) 27.12.2022 (बी) रू0 10,16,716.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.12.2023 (सी) रू0 13,91,533.00 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 03.05.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 6,80,110/- रू0 68,011/- रू0 10,000/-	04.08.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा। 5. यहाँ अनूसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162 से पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा**। 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शशीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 15.07.2026 — स्थान – बिजनौर — प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार